बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) संचिका संख्या—12/चक0—यो0—5—01/2021 अधिसूचना

एस0ओ० 229 दिनांक 20-02-23 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत मौजा पननियाँ, थाना नं० 38, अंचल—गुरारू, जिला— गया इस अधिसूचना की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ० 229 दिनांक 20-02-23 /एस0ओ० दिनांक का अंग्रेजी में निम्निलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

Government of Bihar Revenue & Land Reforms Department Directorate of Consolidation Notification

File No. 12/चक0-यो0-5-01/2021

S.O 2-29 Dated 20-02-23. In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in Mauja-Pananiya, Thana no.-38, Anchal- Guraru, District- Gaya which is notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

By Order of the Governor of Bihar

Joint Secretary of Government

बिहार राज्यपाल के

अधिसूचना संख्या—12/चक0—यो0—05—01/2021... 229./चक0, दिनांक 20—02—23 प्रतिलिपि — अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (सी0डी0 सहित)/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधिसूचना संख्या—12/चक0—यो0—05—01/2021 <u>१२५</u>/चक0, दिनांक <u>१०-०१</u>-१3 प्रतिलिपि —अपर समाहर्त्ता—सह—उप निदेशक, चकबंदी गया/अंचलाधिकारी—सह—चकबंदी पदाधिकारी, गुरारू (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयक्त सचिव।

बिहार राज्यपाल के आदेश से